

- जैसे-जैसे वैश्वविकी ऋण की सधति खिराब होती गई, नजिी ऋणदाताओं ने IDA देशों को ऋण देना कम कर दयिा, जसिके परणामसवरप नवीन ऋणों की

तुलना में ऋण चुकोती में 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई।

- इसके विपरीत विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय ऋणदाताओं ने इन अर्थव्यवस्थाओं को ऋण भुगतान से प्राप्त राशि से 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक प्रदान करके सहायता प्रदान की।

IDA-पात्र देशों पर प्रभाव:

- IDA-पात्र देशों को वर्ष 2023 में गंभीर वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ा, ऋण भुगतान में 96.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना पड़ा, जिसमें रिकॉर्ड-उच्च ब्याज लागत में 34.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल थे - जो वर्ष 2014 की तुलना में 4 गुना अधिक था।
- औसतन, उनकी नरियात आय का लगभग 6% ब्याज भुगतान में चला जाता है, कुछ का आवंटन 38% तक होता है।

वैश्विक ऋण

- यह विश्व भर में सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा लिये गए कुल ऋण को संदर्भित करता है, जिसमें सार्वजनिक और निजी ऋण दोनों शामिल हैं।
 - सार्वजनिक ऋण: यह सरकार द्वारा घरेलू और विदेशी ऋणदाताओं को दिया जाने वाला ऋण है। इसे आमतौर पर बॉण्ड, ट्रेजरी बिल या अंतरराष्ट्रीय संगठनों से ऋण जारी करके वित्तपोषित किया जाता है।
 - निजी ऋण: यह व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा बैंकों, ऋणदाताओं एवं वित्तीय संस्थानों को दिये जाने वाले ऋण से संबंधित है। इसमें बंधक, कॉर्पोरेट बॉण्ड, छात्र ऋण और क्रेडिट कार्ड ऋण शामिल हैं।

UNCTAD विश्व ऋण रपॉर्ट, 2024 के अनुसार वैश्विक ऋण संकट की स्थिति क्या है?

- वैश्विक सार्वजनिक ऋण में तीव्र वृद्धि: वैश्विक ऋण, जिसमें परिवारों, व्यवसायों और सरकारों द्वारा लिया गया ऋण शामिल है, वर्ष 2024 में 315 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 3 गुना है।
 - कोविड-19 महामारी, खाद्य और ऊर्जा की बढ़ती कीमतें, जलवायु परिवर्तन, तथा धीमी विकास दर और बढ़ती बैंक ब्याज दरों के कारण सुस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था जैसे कारकों के कारण सार्वजनिक ऋण तेजी से बढ़ रहा है।
- ऋण वृद्धि में क्षेत्रीय असमानताएँ: विकासशील देशों का सार्वजनिक ऋण, जो 29 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है (वैश्विक ऋण का 30%, जो वर्ष 2010 में 16% था), विकासशील देशों की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है।
- ऋण सेवा और जलवायु पहल पर प्रभाव: लगभग 50% विकासशील देश अब अपने सरकारी राजस्व का कम से कम 8% ऋण के लिये आवंटित करते हैं, यह आँकड़ा पिछले दशक में दोगुना हो गया है।
 - वर्तमान में, विकासशील देश जलवायु पहलों (2.1%) की तुलना में ऋण चुकोती (2.4%) पर सकल घरेलू उत्पाद का अधिक प्रतिशत व्यय करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
 - पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये, वर्ष 2030 तक जलवायु निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 6.9% तक बढ़ाना होगा।
- आधिकारिक विकास सहायता (ODA) में बदलाव: ODA, जो विकासशील देशों में आर्थिक विकास और कल्याण का समर्थन करता है, में उल्लेखनीय गिरावट आ रही है और अब ऋण सहायता का 34% है, जो वर्ष 2012 में 28% था, जिससे ऋण का भार बढ़ रहा है।
 - ऋण राहत निधि वर्ष 2012 में 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर वर्ष 2022 में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गई है, जिससे विकासशील देशों के लिये ऋण प्रबंधन की स्थिति और खराब हो गई है।

नोट:

- आधिकारिक विकास सहायता (ODA) से तात्पर्य गरीब देशों के विकास को समर्थन देने के लिये दाता देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता से है।
 - विश्व बैंक का एक अंग, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (ODA) ढाँचे के भीतर एक प्रमुख बहुपक्षीय संस्था है। यह दुनिया के सबसे गरीब देशों को अनुकूल शर्तों के साथ रियायती ऋण और अनुदान प्रदान करता है, इस प्रकार इन देशों में विकास प्रयासों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
 - विश्व बैंक का एक अंग, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (IDA), ODA ढाँचे के भीतर एक प्रमुख बहुपक्षीय संस्था है। यह विश्व के सबसे गरीब देशों को अनुकूल शर्तों के साथ रियायती ऋण और अनुदान प्रदान करता है, इस प्रकार इन देशों में विकास प्रयासों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- वर्ष 2020 में शुरू किये गए और पेरिस क्लब के सहयोग से G20 द्वारा समर्थित ऋण उपचार के लिये G20 कॉमन फ्रेमवर्क का उद्देश्य अस्थिर ऋण स्रोतों से जुड़ा रहे हैं, निम्न-आय वाले देशों (LIC) को संरचनात्मक सहायता प्रदान करना है।
- वर्ष 2020 में शुरू किया गया और पेरिस क्लब तथा G20 द्वारा अनुमोदित, ऋण उपचार के लिये G-20 कॉमन फ्रेमवर्क का उद्देश्य निम्न आय वाले देशों (LIC) को संरचनात्मक सहायता प्रदान करना है, जो असहनीय ऋण स्रोतों से जुड़ा रहे हैं।
 - यह ढाँचा LIC के सामने आने वाली गंभीर ऋण चुनौतियों से निपटने के लिये एक समन्वित और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो कोविड-19 महामारी के कारण और भी गंभीर हो गई है।

वैश्विक ऋण संकट को कम करने के लिये क्या उपाय किये गए हैं?

- ## आगे की राह

- **समावेशी शासन:**
 - नरिणय लेने की प्रक्रियाओं में नमिन आय वाले देशों की भागीदारी बढ़ाना यह सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है कि उनका आवाज सुनी जाए। संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास कार्यालय द्वारा जोर दिये जाने के अनुसार, ऋण संकट को रोकने हेतु वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है।
- **आकस्मिक वित्तपोषण:**
 - आपातकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करने में IMF की अहम भूमिका है। वर्ष 2019 की IMF रिपोर्ट में प्रस्तावित [वशिश आहरण अधिकार](#) (Special Drawing Rights- SDR) तक पहुँच बढ़ाने जैसे उपाय संकट के समय विकासशील देशों के भंडार वृद्धि में मदद कर सकते हैं।
- **असंवहनीय ऋण का प्रबंधन:**
 - मौजूदा ऋण पुनर्गठन ढाँचे जैसे कि ऋण उपचार के लिये G20 कॉमन फ्रेमवर्क को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
 - संकट के दौरान ऋण भुगतान नलिनबन हेतु स्वचालित प्रावधानों को शामिल करने से अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने हेतु लचीलापन प्राप्त हो सकता है।
- **सतत् वित्तपोषण को बढ़ाना:**
 - [बहुपक्षीय विकास बैंकों](#) (Multilateral Development Banks- MDB) को सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के लिये दीर्घकालिक वित्तपोषण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने हेतु परविरतित किया जाना चाहिये। [सर्वोच्च ऊर्जा](#) जैसी सतत् परियोजनाओं के लिये नजी नविश को आकर्षित करना और वशिश रूप से विकासशील देशों के लिये सहायता और [जलवायु वित्त](#) से संबंधित प्रतबिद्धताओं को पूरा करना भी आवश्यक है।

नषिकरुष

वशिव बैंक की अंतरराष्ट्रीय ऋण रपिरट 2024 वकिसशील देशों के सामने अपने ऋण के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों की एक स्पष्ट छविरप्रस्तुत करती है । नषिकर्ष बहूपकषीय समर्थन की तत्काल आवश्यकता और ऋण डेटा में बेहतर पारदर्शता को रेखांकित करते हैं ताकसितत् आर्थिक वकिस सुनशिचति कथिया जा सके । जैसे-जैसे ये देश अपनी वतितीय चुनौतियों से नपिटते हैं, ऋण चुकौती को आवश्यक वकिस प्राथमकितार्ओं के साथ संतुलति करने के लथि आवश्यक सहायता परदान करने में बहूपकषीय संसथानों की भूमकिया तेजी से महतत्वपरण होती जाती है ।

दृष्टिमेन्स प्रश्नः

वैश्वक ऋण संकट को बढ़ावा देने वाले कारक क्या हैं? वकिसति और वकिसशील दोनों देश इस समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान करने तथा इसे प्रबंधित करने के लयि संभावति उपायों का आकलन कीजयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

?????????:

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. राजकोषीय दायित्व और बजट परबंधन (एफ.आर.बी.एम.) समीक्षा समितिके प्रतविदन में सफिरशि की गई है कविरष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मलिकर ऋण-जी.डी.पी. अनपात 60% रखा जाए जसिमें केंद्र सरकार हेत यह 40% तथा राज्य सरकारों के लयि 20% हो ।

2. राज्य सरकारों के जी.डी.पी. के 49% की तुलना में केन्द्र सरकार के लिए जी.डी.पी. का 21% घरेलू देयतायें हैं।
3. भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयतायें हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: c

?????:

प्रश्न: 12. उत्तर-उदारीकरण अवधि के दौरान, बजट निर्माण के संदर्भ में लोक व्यय प्रबंधन भारत सरकार के समक्ष एक चुनौती है। इसको स्पष्ट कीजिये। (2019)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/international-debt-report-2024>

